

मध्यप्रदेश हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2014

अध्याय 1 - साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
2. परिभाषाएं

अध्याय दो

मल नाली या मल विगलन कुंडों की सफाई में नियोजित कर्मचारियों के प्रति नियोजक की बाध्यताएं

3. नियोजक की बाध्यताएं
4. सुरक्षात्मक नियम तथा सुरक्षा युक्तियों के उपबंध
5. स्थानीय प्राधिकारी
6. संरक्षात्मक गियर तथा सुरक्षा युक्तियां
7. सुरक्षा पूर्वावधानिया
8. पश्चा स्वच्छता सुरक्षा पूर्वावधानियां

अध्याय-तीन - अस्वच्छ शौचालय

9. अस्वच्छ शौचालय
10. अस्वच्छ शौचालय का सर्वेक्षण

अध्याय-चार - हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण

11. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण
12. पहचान किए गए हाथ से मैला ढोने वाले कर्मी

अध्याय-पांच - निरीक्षक की शक्तियां

13. निरीक्षक की शक्तियां
14. राज्य निगरानी समिति
 - उपाबंध-एक
 - उपबंध- दो
 - उपबंध-तीन

मध्यप्रदेश हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2014

क्र. 8-12-32-201 पच्चीस.-हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका
पुनर्वास अधिनियम, 2013 2013 का 25) की धारा 36 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में
लाते हुए राज्य सरकार, एतद्दवारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम अध्याय 1 साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश हाथ से मैला उठाने वाले
कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2014 है

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं--(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम " से अभिप्रेत है, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और^{उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 62013 का 25).}

(ख) "सफाई युक्ति" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित होंगे किन्तु नियम 5 में निर्दिष्ट उपस्कर्तों
तक सीमित न करते हुए चाहे हाथ से या यांत्रिक रूप से प्रचालित हो जिनका उपयोग-

(एक) सैप्टिक टैंक से मल नाली या मल विगलन की सफाई या परिवहन या प्रवाह को साफ
करने या समर्थ बनाने के लिये; और

(दो) ऐसी मल या सामग्री के साथ सीधे संपर्क को बचाने के लिये, किया जा सके.

(ग) (एक) "जिला समिति" से अभिप्रेत है निम्नलिखित संरचना के साथ नियम 11(2) 11(18) और
11(19) निर्धिष्ट समिति :-

1	जिला मजिस्ट्रेट	
2	अनुसूचित जाति मामलों को व्यवहार करने वाला	अंद्यक्ष
3	जिला स्तर का अधिकारी	सदस्य सचिव
4	नगरीय विकास विभाग का जिला स्तर का अधिकारी	सदस्य
5	रेल प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि	सदस्य

6	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्धिष्ट अधिकतम दो प्रतिनिधि	सदस्य
7	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्धिष्ट अधिकतम दो सामुदायिक प्रतिनिधि जिसमें से एक महिला होगी	सदस्य

(दो) जिला स्तर सर्वेक्षण समिति के कृत्य

(एक) जिला स्तर पर सर्वेक्षण प्रक्रिया को मानिटर और सर्वेक्षण करना

(दो) अभिहित स्थानों पर जागरूकता अभियान के लिए सामग्री विस्तारित करना

(तीन) सर्वेक्षण के बारे में स्थानीय समाधान समाचार पत्र आदि पर अनूदित सर्वेक्षण सामग्री वितरित करना.

(चार) अपनी व्यधिरिकता के अधीन अभिहित स्थानों पर अनूदित सर्वेक्षण समगारी वितरित करना.

(पांच) जिले में समस्त शःसो नगरों और ग्रामों के लिए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची को अनुमोदित करना

(छह) जिले में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को अंतिम समेकित सूची का प्रकशन करना.

(घ) “प्रमाणक” से अभिप्रेत है हाथ से मैला उठाने उठाने वाले कर्मियों के सर्वेक्षण या समाधान के प्रपोजल के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति.

(ड) “निरीक्षण” से अभिप्रेत है अधिनियम को धारा 20 की उपधारा 11 उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निरीक्षक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति

(च) ओकरबियर से अनिप्रेट इन नियमों के अधीन शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियोजित कोई अधिकारी;

(छ) “संरक्षक साधनों” से अभिप्रेत है व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्कर और सुरक्षा शक्तियों जो मॉल नाली मॉल विपन कूदो को सफाई के सम्बन्ध में सफाई कर्मचारितों या सफाई कर्योकारी द्वारा पहनने के लिए या उपयोग के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं जो कार्य की प्रकटी को करने के लिए आवश्यक होंगे जिसके अंतर्गत नियम 4 नि निर्दिष्ट सामग्री को संचित नहीं किया गया है.

(एक) पदार्थों को मानव त्वचा को संपर्क से बचाने के लिये जो किसी रोग का कारण हो सकती है, जिसके साथ सभी श्वसन उपस्कर जिससे गैसों के अंत -श्वसन से रोका जा सके जो रोग का कारण हो सकता है, और जिसके अंतर्गत मल नालियों या मल विगलन कुंडों के अंदर उपस्थित गैसों की पहचान के लिये कोई संवेदी उपस्कर भी है;

(दो) क्षति को दूर करना जब सफाई कार्य किया जा रहा हो.

- (ज) "सफाई कर्मचारी" या "स्वच्छता कर्मकार" से अभिप्रेत है घरेलू कार्य से भिन्न किसी स्वच्छता कार्य के लिये लगा हुआ या नियोजित कोई व्यक्ति;
- (झ) "सुरक्षा पूर्वावधानियां" में सम्मिलित है किन्तु नियम 6 में निर्दिष्ट पूर्वावधानियों तक सीमित नहीं है तथा जिसके अन्तर्गत मल नाली और मल विगलन कुंडों की सफाई में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा रोगों और क्षतियों के संपर्क को दूर करने को तथा व्यक्तियों के जोखिम को कम करने के लिये सभी आवश्यक उपाय भी हैं जो मल नाली या मल विगलन कुंडों के भीतर और जब मल नाली या मल विगलन कुंडों में प्रवेश करने के दौरान कोई भौतिक अवस्था (ठोस, द्रव्य या गैस) में मल या कोई अन्य सामग्री के संपर्क में आते हैं;
- (झ) "राज्य स्तर सर्वेक्षण समिति" से अभिप्रेत है निम्नलिखित संरचना के साथ नियम 10(12) 10(13) और 11(2) में निर्दिष्ट समिति.

1	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव	अद्यक्ष
2	यदि अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा समिति की अध्यक्षता की जाती है तो अनुसूचित जाति मामलों के कार्यकलापों को करने वाला प्रमुख सचिवासचिव, यदि प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण स्वयं अध्यक्षता कर रहा है तो निदेशक, अनुसूचित जाति कल्याण	सदस्य सचिव
3	निदेशक, अर्थशास्त्र और सांख्यिकीय	सदस्य
4	सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
5	प्रादेशिक निदेशक, जनगणना प्रचालन	सदस्य
6	रेल प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि	सदस्य
7	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और सफाई कर्मचारियों के	सदस्य

	कल्याण के लिये कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के अधिकतम राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रतिनिधि	
8	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकतम दो सामुदायिक प्रतिनिधि जिसमें से एक महिला होगी	सदस्य

(तीन) राज्य स्तर सर्वेक्षण समिति के कृत्य

(एक) राज्य स्तर पर सर्वेक्षण प्रक्रिया को मानीटर और सर्वेक्षण करना

(दो) अभिहित स्थानों पर जागरूकता अभियान के लिये सामग्री वितरित करना.

(तीन) सर्वेक्षण के बारे में स्थानीय समाचार पत्र आदि के माध्यम से प्रचार की व्यवस्था करना.

(चार) अपनी अधिकारिता के अधीन अभिहित स्थानों पर अनुदित सर्वेक्षण सामग्री वितरित करना.

(पांच) राज्य के समस्त शहरों, नगरों और ग्रामों के लिये हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची को अनुमोदित करना.

(छ) राज्य में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम समेकित सूची का प्रकाशन.

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किए गए हैं.

अध्याय दो

मल नाली या मल विगलन कुंडों की सफाई में नियोजित कर्मचारियों
के प्रति नियोजक की बाध्यताएं

3. नियोजक की बाध्यताएं- (1) इन नियमों के अधीन किसी व्यक्ति को संरक्षात्मक साधनों और सुरक्षा युक्तियों के बिना किसी मल नाली की सफाई के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा सिवाय

(क) कंक्रीट या फाइबर प्रवलित प्लास्टिक (एफ. आर0 पी.) या क्षतिग्रस्त मेनहोल डोर जहां यांत्रिक उपस्कर प्रचालन में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं, को हटाने के लिए;

- (ख) तीन सौ मिलीमीटर व्यास से अधिक आकार की मल नाली की दशा में, विद्यमान मुख्य मल नाली के साथ डाली गई नई मुख्य डाली गई मल नाली के अंतसंयोजन के लिये;
- (ग) चूषण कूपों के तल पर नियत सबमर्सिबल पम्प सेटों को हटाने के लिये;
- (घ) मेन होल के पुनर्निर्माण या मुख्य मल नाली के सुधार के लिये;
- (ङ) ऐसी सफाई अनुज्ञात करने के लिये विनिर्दिष्ट विधिमान्य कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् किसी परिस्थिति में जब हाथ से मलवाही की सफाई नितांत रूप से आवश्यक है
- (च) उपधारा (1) के खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिये मल नाली में किसी व्यक्ति के प्रवेश को अनुज्ञात करने से पहले मलवाही पूर्णतया खाली होगी;
- 4. सुरक्षात्मक नियम तथा सुरक्षा युक्तियों के उपबंध-**किसी मल नाली या किसी मल विगलन कुंड की सफाई में नियोजित किसी व्यक्ति को उसके नियोजक द्वारा संरक्षात्मक साधनों और सुरक्षा उपस्कर, निम्नलिखित को सीमित किए बिना, उपलब्ध कराने होंगे
1. ब्लोअर के लिये वायु संपीड़ित्र
 2. वायु रेखा श्वसन उपस्कर
 3. हस्त चलित वायु ब्लोअर के सहित 'वायु रेखा श्वसित्र वायु
 4. शोधक गैस मास्क/चिन काट्रिज
 5. कृत्रिम श्वसन/जालिका
 6. अवरोध चेतावनी फीता
 7. अवरोधक क्रीम
 8. अवरोधक शंकू
 9. ब्लोअर
 10. शवासन मानक
 11. श्वशन उपस्कर
 12. चेतावनी पट
 13. क्लोरीन मास्क
 14. आकस्मिक चिकित्सा आक्सीजन पुनर्जीवक किट
 15. प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स

16. फेस मास्क
17. गैस मानीटर (4 गैस)
18. मार्गनिर्देश नद समूह
19. पूर्ण शरीर जलग सूट
20. जूतों के साथ संबद्ध मत्यगैस जलग सूट
21. हाथ के दस्ताने
22. सिरो दीप
23. हेलमेट
24. हेलमेट विधवंसक
25. सीसा एसीटेट पत्र
26. जीवनरक्षक गद्दी
27. अनुकूलन वायुरेखा प्रदाय ठेला प्रणाली
28. सामान्य चेहरा मास्क
29. नायलॉन रस्से की सीढ़ी पांच मीटर
30. नायलॉन सुरक्षा पेटी
31. जेबी पुस्तक
32. पोर्ट ऑक्सी
33. बरसाती
34. परावर्तक आवरण
35. सुरक्षा पेटी
36. शारीरिक सुरक्षा कपड़े
37. शारीरिक सुरक्षा सजा
38. सुरक्षा चश्मे
39. सुरक्षा गम बूट
40. सुरक्षा टोप
41. सुरक्षा फुआरा
42. सुरक्षा टार्च
43. सुरक्षा ट्राइपॉड सेट
44. सर्च लाइट

5. स्थानीय प्राधिकारी-स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित सफाई की युक्तियां मलकुंड या मलविगलन कुंड की सफाई में लगे व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जाती है किन्तु यह निम्नलिखित तक सीमित नहीं होगी -

1. मल नाली स्वच्छता बेकेटिंग मशीन
2. जेटिंग मशीन

3. चूषण मशीन गली एमटायर
4. संघटित मशीन (जेटिंग सह चूषण)
5. गहन चूषण संघटित मशीन (जेटिंग सह चूषण)
6. हस्त प्रचालित ट्राली आरूढ़ ग्राह बाल्टी
7. हाइड्रोलिक प्रचालित ट्राली आरूढ़ ग्राह बाल्टी
8. टूक आरूढ़ मोटर और विंच प्रचालित ग्राह बाल्टी मशीन
9. नियत बनावट आरूढ़ मोटर और विंच प्रचालित ग्राह बाल्टी मशीन
10. तरल कूप के लिये रिक्षात आरूढ़ विंच और मोटर प्रचालित डिसलेटिंग मशीन
11. प्रवेश छिद्र के लिये रिका आरूढ़ विंच और सहायक इंजन प्रचालित डिसलेटिंग मशीन
12. एसकार्ट हाइड्राक्रेन आरूढ़ हाइड्रोलिक विंच प्रचालित ग्राह बाल्टी डिसलेटिंग मशीन
13. हस्तचालित छड़े, बेलचा, फावड़े, नाली साफ करने की मशीनें और हत्थों सहित इस्पात स्क्रैपर्स
14. होज़ और धुलाई उपकरण

6. संरक्षात्मक गियर तथा सुरक्षा युक्तियां- (1) इन नियमों के अधीन सभी संरक्षात्मक गियर और सुरक्षा युक्तियों की प्रत्येक छह मास में जांच की जाएगी और नियोजक द्वारा आवश्यक मरम्मत या प्रतिस्थापन किया जाएगा जो मल नाली या मल विगलन कुंड को साफ करने के लिये किसी व्यक्ति को लगाता है।

(2) आरामदायक शरीर के कपड़े उस कर्मकार को उपलब्ध कराए जाएंगे जिसे मलनाली या मल विगलन कुंड में उनकी सफाई के लिये 'प्रवेश करना है। नियोजक उन कर्मकारों को पूर्ण शरीर के कपड़े उपलब्ध कराएगा जो 5 फीट से अधिक की गहराई में मेन होल में प्रवेश कर रहे हैं और अनुकूल्पी रूप से भागत : फिशिंग वाडर काया पोशाक उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराएगा जो 5 फीट से कम की गहराई में मेनहोल में प्रवेश कर रहे हैं

(3) नियोजक, मलनाली या मलविगलन कुंड की सफाई में किसी व्यक्ति के लगाने से पूर्व निम्नलिखित सुरक्षा पूर्ववधानियाँ भी सुनिश्चित करेगा, अर्थात् -

(क) पूरे समय न्यूनतम तीन कर्मचारी रहेंगे जिनमें से एक पर्यवेक्षक होगा;

(क) परिरूद्ध स्थान के भीतर वातावरण को आक्सीजन की कमी और सम्मिलित विषैली कंबस्टीबल गैसों के लिये परीक्षण किया जाएगा किन्तु निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए पता लगाने के परीक्षणों के माध्यम से हाईड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोक्साइड, मेथीन और गैसोलीन पेपर जैसी विषालु गैसों तक समिति नहीं होगी :-

(एक) मेनहोल में पता लगाने वाले लैंप को नीचे करना.

(दो) भीगा सीसा , एसीटेट पेपर का अंत स्थापन जो परिसंकटमय गैसों की उपस्थिति में रंग को परिवर्तन करता है

(तीन) गैस अन्वेषक नकाबों के माध्यम से गैसों का पता लगाना.

(ख) उपनियम (1) के अधीन स्वच्छता प्रारंभ करने से पूर्व उपनियम (3) के खण्ड क में निर्दिष्ट पर्यवेक्षक ने निरीक्षण किया है और अवधारित किया है यदि निकटवर्ती कोई उद्योग मलनाली का उपयोग कर रहा है जिससे किसी परिसंकटमय वातावरण की प्रत्याशा का सामना किया जा सकता है।

(ग) धातुदंड सीढ़ियों और मेनहोल की पार्श्व दीवारों की दशाएं यह देखने के लिये जांची जाएगी यदि उनके ढहने का कोई खतरा है।

(घ) यातायात और पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिये सभी समय बैरीकेड उपलब्ध किए जाते हैं

(ङ) एक फ्लैगमैन स्थल से कम से कम 50 फिट आगे तैनात होना चाहिए और आने वाले यातायात के लिये कम से कम 500 से दृश्यमान होना चाहिए

(च) मलनाली कर्मकारों की नियमित चिकित्सा जांच जिसमें श्वसन अंग, त्वचा क्षति और अन्य कृतिक रोग की जांच और क्षतियां उनके उपचार के लिये यह सुनिश्चित करने के लिये सम्मिलित होगी कि मलनाली कर्मकार जो ऐसी बीमारियों और क्षतियों से प्रभावित हैं, सफाई के लिये मलनाली में प्रवेश न करें।

(छ) श्वसन और त्वचा रोगों और अन्य कृतिक रोगों के विरुद्ध नियमित टीकाकरण जिसके लिये इन कर्मियों का मलनाली में हानिकर पदार्थों और गैसों से प्रभावित होने का खतरा बना रहता है।

(ज) सभी कर्मचारी जो स्थल पर सफाई कार्य के दौरान उपस्थित रहते हैं, ऐसे कार्यों से सहबद्ध क्षति या रोगों से बचने के लिये सफाई कार्य में अंतर्वलित सभी उपस्करों के प्रचालन का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा ज्ञान से पर्याप्त रूप से सुपरिचित हों और कार्यस्थान पर आपातस्थिति पैदा होने की दशा में आवश्यक कदम उठाने के लिये समक्ष हो और प्रत्येक दो वर्ष में प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा और कर्मचारी उपरोक्त विषय के संबंध में पद्धति और तकनीक में किन्हीं परिवर्तनों से सुपरिचित होंगे।

(झ) पर्यवेक्षक निकटतम अस्पतालों और चिकित्सालयों के नाम, पते और टेलीफोन नंबरों को अपने पास और सुविधाजनक स्थिति में रखेंगे।

(ञ) मलनाली या मलविगलन कुंड की सफाई, (एक) केवल दिन के प्रकाश में की जाएगी; और (दो) किसी खण्ड पर नब्बे मिनट से अधिक की अवधि के लिये नहीं होगी दो खण्डों के बीच तीस मिनट का माध्यान देना आजापक होगा।

(ट) किन्हीं लाइन की पहचान करना और उसे बंद करना या पुन : मार्गी करना जिससे या जिनके माध्यम से कार्यक्षेत्र में हानिकर पदार्थ लाए जाते हैं;

(ठ) यह सुनिश्चित करना कि प्रवेश स्थल पर लिखित प्रचालन और बचाव प्रक्रियाएं दर्शित की गई हैं;

(ङ) यदि प्रवेश शिखर द्वार के माध्यम से किया जाता है, काम में लगने वाली हाउसिंग युक्ति .जो किसी व्यक्ति को सीधे प्रास्थिति में निलंबित करती है और यांत्रिक युक्ति पांच फीट की गहराई से

- अधिक उद्वाधन स्थान से पुनः प्राप्त कार्मिकों को, उपलब्ध कराई जाएगी;
- (द) किसी परिरुद्ध स्थल कार्य के दौरान कम से कम एक व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा और हृदय फुस्कुस पुनरुज्जीवन (कार्डियो पलमनरी रेसूसिटेशन में प्रशिक्षित होना चाहिए जो तुरंत उपलब्ध हो;
- (ण) मेनहोल में आक्सीजन अंतर्वस्तु सभी स्तरों पर (तल, मध्य और शिखर) में मेनहोल उपाय के परिरुद्ध स्थान में कम से कम 19. 5 प्रतिशत होनी चाहिए और यदि आक्सीजन स्तर 19.5 प्रतिशत से कम है और 21 प्रतिशत से अधिक है तो कोई व्यक्ति मेनहोल में प्रवेश नहीं करें
- (त) प्रचालन के प्रारंभ से पूर्व मेनहोल को कम से कम एक घंटे पहले खोला जाएगा;
- (थ) खोले गए मेनहोल में किसी व्यक्ति, विशेषकर बालकों को जो मलनाली में दुर्घटनावश गिर जाते हैं, उन्हें रोकने के लिये समुचित रूप से बाड़ या रुकावट करनी होगी. वेलडिड फैब्रिक या वायर नेट से छदम कवर का उपयोग किया जा सकेगा;
- (द) सभी कर्मी मलनालीलाइन में प्रवेश करने से पूर्व सुरक्षात्मक साधनों और सुरक्षा युक्तियों का उपयोग करेंगे;
- (ध) मेनहोल रंगदंडा या चरणों की संरचनात्मक सुरक्षा की मेनहोल में प्रवेश करने से पूर्व जांच की जानी चाहिए;
- (न) जहां आवश्यक है सुवाहय एल्युनियम सीढ़ी कार्य अवधि के दौरान उपलब्ध हो और सुवाहय सीढ़ी को प्रयोग करने के दौरान उसे समुचित रूप से बैठाया या नियत किया गया हो;
- (न) किनारे के समीप कोई सामग्री या औजार नहीं होने चाहिए जो मेनहोल में गिर सकते हैं और कर्मकार को क्षति पहुंचा सकते हैं;
- (प) मलनाली की सफाई के दौरान उपयोग किए गए उपस्कर विस्फोटक और अग्निरोधी हों.
- (फ) धूम्रपान, खुली लपटें, मेनहोल के अंदर के साथ-साथ खुले मेनहोल के ठीक निकट प्रतिषिद्ध हैं.
- (ब) अचानक या अघोषित वातावरण में परिवर्तन की दशा में कम से कम 10 मिनट वायु प्रदाय के साथ आपात बचाव श्वसन साधित्र पहनना चाहिए.

7. सुरक्षा पूर्वाधानिया. -नियोजक उस समय जब व्यक्ति मलनाली या मल विगलन कुंड की सफाई में लगा है, निम्नलिखित सुरक्षा पूर्वाधानियां को सुनिश्चित करेगा -

- (एक) अच्छी चलती हालत में बैटरी के साथ सुवाहय पंखे और एयर बोयर जिसमें मलनाली में व्यक्ति के प्रवेश के दौरान प्राक्कलित अवधि से अधिक अवधि की चालन क्षमता हो, संवातन के लिए मलनाली में लगाए जाएंगे और संवातन स्रोत मेनहोल के मुख में संस्थित किए जाएंगे.
- (दो) फ्लैश लाइट और द्विपथ रेडियो जैसी संचार युक्तियों को मलकुंड में लगाया जाएगा.
- (तीन) स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्करों का रहना.

(क) घायल कर्मी के युक्ति चालन को सुनिश्चित करने के लिए ट्राइपॉड और साज प्रणाली या

कुछ अन्य पद्धति;

- (ख) टोकरी स्ट्रेचर या उसी प्रकार की युक्ति, आपात परिवहन के लिए घायल कर्मियों को ले जाने के लिए उपलब्ध होगी.
- (ग) उपाबंध-एक में दिए गए प्राथमिक चिकित्सा उपस्कर और प्रशिक्षित कार्मिक शीघ्र ही उपलब्ध होंगे.
- (चार) नियोजक एबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और अधिकतम निकटता से अनुसरण करेगा.

(पांच) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि समनुदेशित व्यक्ति के पास कम से कम दस लाख रुपये की जीवन बीमा पालिसी है और जिसका प्रीमियम नियोजक द्वारा संदर्भ किया जाएगा.

8. पश्चा स्वच्छता सुरक्षा पूर्वाधानियां. -नियोजक निम्नलिखित स्वच्छता के अवधि के पश्चात् मलनाली या मलविगलन कुंड से बाहर मलनाली या विगलन कुंड की सफाई में लगे किसी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित पश्च स्वच्छता सुरक्षा पूर्वाधानियां सुनिश्चित करेगा -

- (एक) दूषित कपड़ों को हटाने के लिए और धुलाई के साथ-साथ कपड़े सुखाने के लिए सुविधाएं देगा
- (दो) साफ सफाई सामग्री में सम्मिलित होगी किन्तु यह 'जल, साबुन, हाथ धोने वाले साबुन तक सीमित नहीं होगी और पश्च सफाई सुरक्षा के लिए शरीर पर प्रयोग किए जाने के लिए पर्याप्त तथा चिकित्सीय रूप से अधिप्रमाणित त्वचा क्रीम होगी.
- (तीन) मलनाली की सफाई के कारण त्वचा पर कोई घाव /रगड़ या पीड़ित श्वसन अंग की समस्याओं का शीघ्र ही उपचार किया जाएगा.

अध्याय-तीन

अस्वच्छ शौचालय

9. अस्वच्छ शौचालय. -मानव विष्टा पूर्णत : अपघटित रूप में उचारित होगी जब वह अरुचिकर गंध के बिना स्थायी सामग्री में परिवर्तित हो जाती है और मूल्यवान पादप पोषकों में अंतर्विष्ट हो जाती है.

अस्वच्छ शौचालय का सर्वेक्षण

10. अस्वच्छ शौचालय का सर्वेक्षण. - (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, उसकी अधिकारिता के भीतर अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण करने के लिए और उनकी सूची का प्रकाशन करने के लिए एक समुचित समय अनुसूची तैयार करेगा.

(2) स्थानीय प्राधिकारी, उसकी अधिकारिता के अधीन अस्वच्छ शौचालयों के अस्तित्व पर सामुदायिक नेताओं और सफाई कर्मचारियों या स्वच्छता कर्मकारों के कल्याण के लिए उसके क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों की सहायता लेगा.

(3) स्थानीय प्राधिकारी, अस्वच्छ शौचालयों के संनिर्माण, अनुरक्षण या उपयोग के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों सहित किसी व्यक्ति द्वारा पारित किसी शिकायत की, शिकायत फाइल करने के पन्द्रह दिन के भीतर जांच करेगा.

(4) स्थानीय प्राधिकारी, अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन, सफाई कर्मचारियों या स्वच्छता कर्मकारों के समुदाय से कम से कम दो सदस्यों सहित जिनमें से एक महिला होगी और कम से कम एक सदस्य सिविल सोसाइटी समूहों से होगा, एक समिति का गठन करेगा.

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट समिति, सर्वेक्षण की योजना बनाएगी और उसकी मानीटर करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि किए जा रहे सर्वेक्षण के साथ-साथ एक जागरूकता अभियान चलाया जाए.

(6) स्थानीय प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी आधिकारी उसकी आधिकारिता के भीतर अस्वच्छ शौचालयों की एक प्रारंभिक सूची तैयार करेगा और उसे स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा तथा सूची के सब धर्मों में उस तारीख को निर्दिष्ट करते हुए जिस तक आ क्षेप यदि कोई हो प्राप्त किए जा सकेंगे आ क्षेप आमंत्रित करते हुए दो स्थानीय समाचार-पत्रों में उसे प्रकाशित करेगा.

(7) स्थानीय प्राधिकारी, प्रारंभिक सूची पर प्राप्त शिकायतों और आक्षेपों की सुनवाई करने के लिए विनिर्दिष्ट समय और तारीख को एक बैठक का आयोजन करेगा और अस्वच्छ शौचालयों की अंतिम सूची का अनुमोदन करेगा.

(8) अस्वच्छ शौचालयों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जाएगी, जो स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर उन्हें प्रदर्शित करेगा तथा दो स्थानीय समाचार-पत्रों जिसमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा, में प्रकाशित करेगा.

(9) स्थानीय प्राधिकारी, अस्वच्छ शौचालयों की सूची के अंतिम प्रकाशन के पन्द्रह दिन के भीतर अस्वच्छ शौचालय के अधिभोगी को ऐसे अस्वच्छ शौचालय को अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर ध्वस्त करने या उसे स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित करने की सूचना की तारीफ करेगा.

(10) उपनियम (9) में निर्दिष्ट ऐसी सूचना की एक प्रति निरीक्षक को भेजी जाएगी.

(11) उपनियम (9) में निर्दिष्ट सूचना, मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीमों के संबंध में जो हितग्राहियों को अस्वच्छ शौचालयों को ध्वस्त करने या उन्हें स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहन का हकदार बनाती है और उन स्कीमों के अधीन लाभ उठाने के लिए पात्रता के संबंध में तथा ऐसा लाभ उठाने की प्रक्रिया के संबंध में, जानकारी शामिल होगी.

(12) उपनियम (4) में निर्दिष्ट समिति जिला मजिस्ट्रेट को एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो , या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा पदाभिहित कोई विभाग उसकी अधिकारिता के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारियों की समेकित रिपोर्टों को राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति को प्रस्तुत करेगा.

(13) राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति, सर्वेक्षण की रिपोर्ट .को अस्वच्छ शौचालयों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने की स्कीमों से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग को प्रस्तुत करेगी.

(14) केन्द्र या राज्य सरकार की सुसंगत स्कीमों के अधीन पात्र हितग्राही ऐसी स्कीमों के अधीन अनुज्ञेय वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकेंगे.

(15) उपनियम (9) के अधीन अवधि के अवसान के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी अस्वच्छ शौचालय के परिसर का निरीक्षण करवा सकेगा.

(16) यदि अधिभोगी ने न तो अस्वच्छ शौचालय को ध्वस्त किया है न ही उसे स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित किया है तो स्थानीय प्राधिकारी उसको ध्वस्त करने के लिए आदेश करेगा तथा अधिभोगी से लागत को भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करेगा,

अध्याय-चार **हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण**

11. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण. - (1) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण करने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त रूप से और यथोचित रूप से स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस विधि और रीति पर प्रशिक्षित किया गया है. जिसमें सर्वेक्षण संचालित किया जाएगा और उन्हें हाथ से मैला उठाने के विषय पर सुग्राही बनाया गया है

(2) राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति और जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति विभिन्न स्तरों पर विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण के दौरान अस्वच्छ शौचालय पाए गए हैं पर्याप्त अभियान चलाएगी.

(3) स्थानीय प्राधिकारी, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पहचान करने के सामुदायिक नेताओं या सफाई कर्मचारियों या स्वच्छता कर्मकारों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को भी सहबद्ध करेगा.

(4) स्थानीय प्राधिकारी, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को स्वयं की घोषणा करने वाले केन्द्रों पर स्वयं की घोषणा करने के लिए जागरूकता अभियानों के माध्यम से आमंत्रित करेगा और अवधि के दौरान उन स्थानों पर जिनकों स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा उनके ब्यौरों को सत्यापित करेगा

(5) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की सूचियां यदि गैर-सरकारी संगठनों या अन्य व्यक्तियों या अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, तो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान करने के लिए पूर्णतया सत्यापित किया जाएगा,

(6) अस्वच्छ शौचालयों या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की संख्या के डाटा के बीच किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा बताए गए अंतर की दशा में, स्थानीय प्राधिकारी, प्रगणकों द्वारा उन अस्वच्छ शौचालयों में सेवा कर रहे हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नामों को जानने के लिए द्वार से द्वार सर्वेक्षण करने का आदेश करेगा.

(7) स्थानीय प्राधिकारी, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान करने के लिए सफाई कर्मचारियों, स्वच्छता कर्मकारों या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पर्यावासों का भी भ्रमण करेगा.

(8) इस प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पदाभिहित ओवरसियरों द्वारा प्रगणकों द्वारा किए गए कार्य की नीचे उपदर्शित परिमाण तक यादृच्छिक चयन के आधार पर नमूनों की जांच की जाएगी

(एक) ग्रामों में शत-प्रतिशत जांच.

(दो) शहरों और नगरों में जहां अस्वच्छ शौचालयों सहित 1000 से कम गृहस्थ हैं शत-प्रतिशत जांच.

(तीन) उन नगरों या शहरों में जिनमें 1000 से 9999 गृहस्थ अस्वच्छ शौचालयों सहित हैं प्रत्येक प्रगणक द्वारा सत्यापित घोषणाओं का 50 प्रतिशत.

(चार) उन नगरों या शहरों में जिनमें 10000 गृहस्थ या अधिक गहराई अस्वच्छ शौचालयों सहित हैं प्रत्येक प्रगणक द्वारा सत्यापित घोषणाओं का 33 प्रतिशत.

(पांच) प्रवर्ग (तीन) और प्रवर्ग (चार) में, यदि प्रगणक द्वारा किए गए कार्य के नमूनों की जांच में 10

प्रतिशत से अधिक की त्रुटि का पता चलता है , तो पर्यवेक्षक द्वारा उसके कार्य की 100 प्रतिशत जांच की जाएगी.

(9) इन अधिनियम के अनुसरण में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अनंतिम सूची में किसी नाम को शामिल करने या हटाने पर किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति की दशा में अनंतिम प्रकाशन से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, वह संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में आक्षेप फाइल कर करेगा.

(10) स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के सर्वेक्षण के दौरान उक्त सूची के प्रकाशन की रीति को भी आधिसूचित करेगा.

(11) स्थानीय प्राधिकारी आक्षेपों की जांच कारित करवाएगा और उसकी अधिकारिता में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को सूची को अंतिम रूप देने के लिए बैठक, यदि आवश्यक हो तो, करेगा.

(12) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अंतिम सूची के प्रकाशन के पश्चात् सूची पर किसी दावे या आक्षेप को सूची में जोड़ने या हटाने के लिये स्वीकार नहीं किया जाएगा परन्तु हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी स्वयं के विषय में उसका हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी होने की घोषणा करने का हकदार होगा.

(13) जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या खण्ड विकास अधिकारी से अन्यून अधिकारी को प्राप्त दावों और आक्षेपों की जांच करने के लिये और पदाभिहित पदाधिकारी द्वारा की गई जांच पर निष्कर्ष देने के लिये पदाभिहित करेगा तथा पदाभिहित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि-

(एक) दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता को सुने जाने का पर्याप्त अवसर दिया गया है ;

(दो) दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता को उपनियम (15) में यथा उपबंधित अनुसार त्वरित सुनवाई की सात दिन से अन्यून सूचना दी गई है;

(तीन) दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता को उपनियम (14) में यथा उपबंधित अनुसार उसके दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य देने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा

(चार) दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता को किसी वकील, गैर-सरकारी संगठन या मित्र द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा, और

(पांच) दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता को उपनियम (20) में उपबंधित किए गए अनुसार पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति दी जाएगी.

(14) इन नियमों के अधीन दावे और आक्षेप फाइल करने के लिये प्ररूप को आवेदकों को निर्दिष्ट स्थान पर मांग करने पर बिना किसी प्रभार के और स्थानीय प्राधिकारी की वेबासाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा तथा दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, दे सकेगा.

(15) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पदाभिहित अधिकारियों द्वारा त्वरित सुनवाई की जाएगी

(16) दावों का सत्यापन करने के लिये पदाभिहित अधिकारी, यदि अपेक्षित हो तो नए सत्यापन का आदेश कर सकेगा

(17) संक्षिप्त सुनवाई और ऐसे अतिरिक्त सत्यापन (यदि आदेश किया गया है) के पश्चात् 6 अधिकारी यथास्थिति, दावे या आक्षेप को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए समुचित आदेश पारित करेगा और आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी.

(18) पदाभिहित पदाधिकारी द्वारा दावों और आक्षेपों का निपटारा करने के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी प्रारूप सूची में अपेक्षित संशोधन करेगा और उन्हें जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति को उसके विचारार्थ संप्रेषित करेगा.

(19) जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, शहर से प्राप्त हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की सूचियों को संकलित करवाएगी और ऐसे जिले के लिए हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की सूची तैयार करेगी जिसे जिला कलक्टर राज्य सरकार को भेजेगा.

(20) राज्य सरकार विभिन्न जिलों से प्राप्त हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की सूचियां रखेगी, संकलित करेगी और हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की समेकित राज्य सूची तैयार करेगी.

(21) हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के रूप में कार्यरत कोई भी कर्मी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान या उसके पश्चात् किसी भी समय विहित प्ररूप में हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के रूप में पहचान किए जाने के लिए स्वयं घोषित कर सकेगा और स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके 'द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को आवेदन कर सकेगा. आवेदन का रूपविधान उपाबंध-दो पर दिया गया है.

(22) हाथ से मैला ढोने वाले कर्मी की पहचान के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी और हाथ से मैला ढोने वाले कर्मी के रूप में पहचान किए जाने के लिए जाति या धर्म या आय या लिंग के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

(23) उप नियम (22) के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् हाथ से मैला ढोने वाले कर्मी के रूप में लगाया जाना चाहिए था या नियोजित किया जाना चाहिए था और उसने कम के कम तीन मास तक निरंतर उस रूप में कार्य किया हो.

(24) ओवरसियरों द्वारा यथा सत्यापित पहचान किए गए हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की अनंतिम सूची स्थानीय समाचार- पत्रों में संबद्ध स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की जाएगी और उसके अपने ही कार्यालय में और ऐसे अन्य स्थानों पर, जो समुचित समझे जाएं, प्रदर्शित की जाएगी.

(25) अनंतिम सूची प्रकाशित करते समय, स्थानीय प्राधिकरण के सदस्यों और गैर सरकारी संगठनों या सफाई कर्मियों या सफाई कर्मियों के सामुदायिक नेता को उपलब्ध कराई जाएगी.

(26) अनंतिम सूची प्रकाशित करते समय, स्थानीय प्राधिकरण जनता के सदस्यों से यह अपेक्षा करेगा कि वे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित में कम से कम 15 दिन की अवधि के भीतर सूची के विरुद्ध दावे और आक्षेप फाइल करें।

(27) जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति द्वारा अनंतिम सूची के अनुमोदन के पश्चात् उसे संबद्ध कार्यालयों के सूचना पटों पर सम्ब करतः प्रकाशित किया जाएगा और अन्तिम सूची जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

12. पहचान किए गए हाथ से मैला ढोने वाले कर्मी, प्रत्येक कुटुम्ब से एक कर्मी, पहचान करने के ठीक बाद में 40000/- रुपये की नकद सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। हितग्राही अधिकतम 7 000 रुपए की मासिक किस्तों में रकम प्रत्याहृत के लिए अनुजात होगा।

अध्याय-पांच निरीक्षक की शक्तियां

13. **निरीक्षक की शक्तियां**. -यदि किसी निरीक्षक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध जो अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 की उपधारा (2) या धारा 7 के अधीन परिभाषित है, होता है या उसके होने की संभावना है, तो वह उसका निरीक्षण, अन्वेषण करेगा या उसकी जांच कराएगा

1. यदि अपराध किसी अस्वच्छ शौचालय के संनिर्माण, रखरखाव या उसके उपयोग से संबंधित है तो निरीक्षक, स्थानीय प्राधिकरण को इसकी रिपोर्ट करेगा जो इसके पश्चात् अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा।
2. यदि अपराध हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन से संबंधित है तो निरीक्षक, स्थानीय प्राधिकरण को और साथ ही जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा।
3. स्थानीय प्राधिकरण, हाथ से मैला ढोने वाले ऐसे कर्मी का नाम सम्मिलित करने के लिए कदम

उठाएगा जो, चाहे सर्वेक्षण के दौरान या उसके पश्चात् किसी भी समय, हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की अन्तिम सूची में नियोजित पाया जाए और जब हाथ से मैला ढोने वाले किसी कर्मी का नाम अन्तिम सूची में जोड़ दिया जाता है तब मैला ढोने वाले कर्मियों को अधिनियम के उपबंधों के अधीन पुनर्वासित किया जाएगा.

4. यदि निरीक्षक को ऐसा प्रतीत होता है कि मलनानी या मल विगलन कुंड की परिसंकटमय सफाई को अपनाया जा रहा है, तो निरीक्षक ऐसी परिसंकटमय सफाई तुरंत रोकने के लिए आदेश करेगा और मामले की स्थानीय प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।
5. निरीक्षक अपनी अधिकारिता के भीतर किसी संरचना, स्थल, स्थान या परिसर का परीक्षण उस समय कर सकेगा जब यह विश्वास करने के लिए कारण है कि ऐसे परिसर का मलनानी या मल विगलन कुंड की परिसंकटमय सफाई के लिए उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किसी गया है या उपयोग किया जाने वाला है।
6. निरीक्षक किसी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य उसी जगह या अन्यथा ले सकेगा, जिसे वह अस्वास्थ्यकर शौचालय या मलनाली या मल विगलन कुंड से संसकृत किसी परीक्षा या जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे :
7. परंतु ऐसे व्यक्ति को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए या उस ऐसे किसी साक्ष्य, जो अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो, देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।
8. निरीक्षक ऐसा कोई फोटोग्राफ, वीडियो क्लिप, नमूना, रिकार्ड प्राप्त कर सकेगा या प्राप्त करवा सकेगा या किसी देसी मुक्ति, जिसमें इलेक्ट्रानिक युक्ति भी है, का प्रयोग करके कोई स्कैच बना सकेगा या बनवा सकेगा जो वह इन नियमों के अधीन किसी परीक्षा या जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझें।
9. यह देखने पर कि कोई स्थानीय प्राधिकरण, व्यक्ति या अभिकरण परिसंकटमय सफाई में किसी व्यक्ति को लगा रहा है या नियोजित कर रहा है, तो निरीक्षक ऐसे प्राधिकरण, व्यक्ति या अभिकरण को निदेश देगा कि वह ऐसे सफाई के कार्य को तुरंत रोक दे और इस संबंध में इन नियमों के उपाबंध-तीन के रूप में उपाबद्ध प्ररूप में लिखित सूचना तामील करेगा।

अध्याय-छ:

राज्य निगरानी समिति

14. **राज्य निगरानी समिति.** - (1) राज्य निगरानी समिति ऐसी तारीख और ऐसे समय पर, छह मास

में कम से कम एक बार बैठक करेगी जो अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए

(2) बैठक सामान्यत : राज्य मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी

(3) जहां समिति किसी ऐसे अन्य स्थान पर बैठक आयोजित करना आवश्यक समझती है वहां उन कारणों को जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी बैठकें अन्य स्थानों पर राज्य के भीतर आयोजित की जा सकेंगी.

(4) सदस्य सचिव, समिति के सभी सदस्यों को न्यूनतम दस दिन की सूचना जारी करवाएगा और बैठक के दौरान विचार किए जाने वाली कार्य सूची भी भेजेगा,

(5) ऐसे किसी कार्य पर, जो कार्य सूची में सम्मिलित नहीं है, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विचार नहीं किया जाएगा

(6) अध्यक्ष, उस प्रत्येक बैठक की, जिसमें वह उपस्थित रहता है, अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चयन कर सकते हैं.

(7) किसी बैठक में कोई कारबार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न हों :

परंतु यदि, किसी बैठक में, एक तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित हैं तो अध्यक्ष, उपस्थित सदस्यों को सूचित करते हुए और अन्य सदस्यों को रजिस्ट्रीकृत सूचना भेजकर बैठक की तारीख से सात दिन से अन्यून की तारीख तक बैठक को स्थगित कर सकेगा

(8) आस्थगित बैठक में कारबार गणपूर्ति को ध्यान में लाए बिना निपटाया जाएगा.

(9) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां उपस्थित सभी सदस्यों को परिचालित की जाएंगी और पढ़कर सुनाई जाएंगी तथा समिति की आगामी बैठक में पुष्टि की जाएंगी और उन्हें अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा.

(10) कार्यवृत्त पुस्तिका में कार्यवृत्त अभिलिखित किए जाएंगे जो स्थायी अभिलेख के रूप में रखे जाएंगे

(11) कार्यवृत्त की एक प्रति केन्द्रीय निगरानी समिति को सूचनार्थ देते हुए केन्द्रीय सरकार को पृष्ठांकित की जाएगी

उपाबंध-एक
(नियम 7 देखिए)

प्राथमिक उपचार सुविधाएँ. - 1. 150 कर्मचारियों के लिये न्यूनतम एक प्राथमिक उपचार पेटी प्रत्येक कार्यस्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा जिससे यह कार्य समय के दौरान सहजत : पहुंच योग्य हो सके.

2. प्राथमिक उपचार पेटी सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रास से सुभिन्नत : चिह्नित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित उपस्कर होंगे,

अर्थात्:-

(क) ऐसे कार्यस्थलों के लिये, जिनमें नियोजित कर्मचारियों की संख्या 50 से अधिक है, प्रत्येक उपचार पेटी में निम्नलिखित उपस्कर होंगे.

1. 6 लघु जीवाणुहीन मरहम पट्टियां
2. 3 मध्य आकार वाली जीवाणुहीन मरहम पट्टियां;
3. 3 विस्तृत आकार वाली जीवाणुहीन मरहम पट्टियां;
4. 3 विस्तृत आकार वाली बर्न मरहम पट्टियां;
5. 1 (30 मि. लि.) बोतल जिसमें दो प्रतिशत एल्कोहलिक विलेयन आयोडीन हो;
6. (30 मि. लि.) सेलवोलाटाइल से युक्त बोतल जिसमें लेबल पर खुराक और उसे देने का ढंग उपर्युक्त हो;
7. 1 सर्पदंश नश्तर;
8. 1 (30 मि. ग्रा. पोटेशियम परमैग्नेट क्रिस्टल की बोतल
9. 1 कैंची
10. महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान, भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम उपचार पत्रक की एक प्रति
11. 1 बोतल जिसमें एस्प्रिन की 100 गोलियां (प्रत्येक 5 मि. ग्रा. हों;
12. जले पर लगाने का मरहम;
13. उपयुक्त शल्यक रोगाणुरोधक विलयन की एक बोतल

(ख) कार्यस्थल, जिसमें कर्मचारियों की संख्या 50 से अधिक है, के प्रत्येक प्राथमिक सहायता बॉक्स में निम्नलिखित उपस्कर होंगे

1. 12 जीवाणुहीन छोटी मरहम--पट्टियां;
2. 6 मध्यम आकार की जीवाणुहीन मरहम-पट्टियां;

3. 6 बड़ी आकार की जीवाणुहीन नितंब-पट्टियां;
4. 6 बड़ी आकार की जीवाणुहीन नितंब-पट्टियां;
5. 6 पैकेट (आई. एस. जी. एम. एस.) जीवाणुहीन रुई ऊन;
6. 1 बोतल (60 मि. ली.) जिसमें दो प्रतिशत एल्कोहल विलयन आयोडीन हो;
7. 1 बोतल (60 मि. ली.) जिसमें साल्वोलाइट हो, जिसके लेबल पर प्रयोग की मात्रा और रीति
8. उपदर्शित हो; चिपकने वाले प्लाटर का एक रोल;
9. 1 सांप के दंश का नश्तर;
10. पोटेशियम परमैग्नेट क्रिस्टल की एक बोतल (30 मि. ली.);
11. कैंची;
12. कारखाना सलाहकार सेवा और श्रम संस्थान, महानिदेशक?भारत सरकार द्वारा जारी प्राथमिक सहायता पुस्तिका की एक प्रति;
13. एरिन की 100 गोलियाँ (5 ग्राम प्रत्येक) की एक बोतल;
14. जले पर लगाने का मरहम;
15. उपयुक्त शल्य चिकित्सा रोगाणुरोधक विलयन की एक बोतल;

(ग) उपस्करों को तुरंत प्राप्त करने के लिये, जब आवश्यक हों, पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी होगी

(घ) प्राथमिक चिकित्सा पेटी ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति के भारसाधन में रखी जाएगी, जो कार्यस्थल के कार्य समय के दौरान आसानी से उपलब्ध है.

(ङ) ऐसे कार्यस्थल में, जिसमें कर्मचारियों की संख्या 150 या अधिक है, प्राथमिक चिकित्सा पेटी का भारसाधक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा, जो प्राथमिक सहायता उपचार में प्रशिक्षित हो.

(च) ऐसे कार्यस्थल में, जिसमें नियोजित कर्मचारियों की संख्या 500 या अधिक है और चिकित्सा सुविधाएं कार्यस्थल से उचित दूरी पर उपलब्ध नहीं हैं, प्राथमिक सहायता पोस्ट की स्थापना की जाएगी और प्रशिक्षित कम्पाउंडर द्वारा संचालित किया जाएगा और जब कर्मकार कार्य पर हो तो वह ड्यूटी पर रहेगा तथा सभी समय उपलब्ध रहेगा.

(छ) जहां कार्यस्थल ऐसे स्थान में स्थित हैं, जो शहरों या नगरों में नहीं है, जख्मी व्यक्ति या अचानक बीमार हुए व्यक्ति को निकटतम अस्पताल ले जाने के लिये एक उपयुक्त मोटर वाहन सहज रूप से उपलब्ध रखा जाएगा.

(ज) प्राथमिक चिकित्सा पेटी में उपर्युक्त पैरा क और पैरा ख में यथा वर्णित से भिन्न कोई अन्य उपस्कर या पदार्थ नहीं रखा जाएगा.

उपबंध 2

(नियम 11(2) देखिये)

स्व पोषण प्रारूप

राज्य का नाम.....

A large, empty rectangular box with a black border, occupying most of the page below the title.

जिला

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

नगरपालिका.....

नगर

वार्ड

100

हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्ति के परिवार का फोटो

(पोस्टकार्ड आकार का फोटो चित्र)

1. हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्ति का नाम.....
 2. पिता 'माता 'पति या पत्नी का नाम.....
 3. आप

1 लिंग : महान्

पुरुष

४३

1

5. शैक्षिक प्रास्थिति : (उपयुक्त बाक्स में का चिह्न लगाए)

(एक) (क) शिक्षित

Page 1

(ख) अशिक्षित

(दो) यदि शिक्षित हैं तो, शिक्षा का स्तर -

(क) प्राप्त शिक्षा : कक्षा 1 -5

- 10

कक्षा 11

कक्षा 12 से अधिक

6. व्यवसाय :

(एक) अस्वच्छ शौचघर से मानव मल-मूत्र को ले जाना' निपटाना सफाई.....

(दो) बिना उपचारित मानव मल-मूत्र की सफाई : खुले नाले से.....

(ख) रेलवे ट्रेक से

7. नियोजन की प्रास्थिति

(1) नियोजित :

(क) निजी -

(एक) व्यक्तिगत कुटुंब

(दो) समुदाय कुटुंब का समूह

(तीन) संविदाकार

ल कार्यालय आदि जैसी संस्थामन

(पाँच) अन्य (विनिर्दिष्ट करें).....

(ख) केन्द्र सरकार

ज्य सरकार

(घ) नगर निगम

(2) नियोजन :

(क) स्थायी आधार स्थायी आधार पर

(ग) संविदा आधार पर (घ) जजमानी

8. आप इस व्यवसाय में कितने समय से हैं सामाजिक पृष्ठ भूमि :

9. सामाजिक पृष्ठ भूमि

(क) क्या अजा. अजजा अन्य पिछड़ा वर्ग अन्य से हैं

(ख) -जाति..... (ग) उप जाति..... धर्म

10. क्या आपने सरकार की पुनर्वास स्कीमों से कोई फायदा प्राप्त किया है? (उपयुक्त बॉक्स में (✓) का चिन्ह लगाए)

हाँ	नहीं

(ख) यदि हाँ, तो नाम (उचित बॉक्स में का चिन्ह अंकित करें) :

अनुक्रमांक	स्कीमों के नाम	रूपये
1	मैला उठाने वाले कर्मियों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्कीम एनएसएलआरएस	
2	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार स्कीम एसआरएमएस	
3	कोई अन्य स्कीम के नाम विनिर्दिष्ट करें	

(ग) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त स्कीम के माध्यम से वित्तपोषित परियोजना चल रही है

हाँ	नहीं	याथि हा तो मासिक आय
-----	------	---------------------

(घ) जात नहीं,

11. (क) क्या आप मैला उठाने से भिन्न किसी उपजीविका में लगे हुए है नहीं

(ख) यदि हाँ, तो विनिर्दिष्ट करें :

12. कोई अन्य कौशल जो रखते हॉं

(एक) सनिर्माण

(दो) बढ़ईगीरी

ANSWER

(तीन) वाहन चालन

ANSWER

(चार) भोजन बनाना

ANSWER

(पांच) कपड़े सिलना

ANSWER

(छह) (विनिर्दिष्ट करें)

रूप)

13. प्रस्तावित वैकल्पिक उपजीविका (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

हाथ से मैला उठाने में लगे हुए व्यक्ति का नाम और पता.....

पिनकोड
.....

संपर्क दूरभाष / मोबाइल सं

डाटा एंट्री आपरेटर के हस्ताक्षर.....

हाथ से मैला उठाने में लगे हुए व्यक्ति के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान.....

नाम और तारीख :.....

नाम और तारीख (कोड सं. के साथ) :

प्रगणक के हस्ताक्षर

.....

नाम और तारीख (कोड सं. के साथ) :

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर.....

नाम और तारीख (कोड सं. के साथ)

अस्वच्छ शौचालय के ब्यौरे-

अनुक्रमांक	अवास्था शौचालय के सम्बन्धी का नाम	अवस्थिति		हाथ से मैला उठाने वाले का मासिक वेतन मजदूरी
1	2	3	4	5

हाथ से मैला उठाने में लगे हुए व्यक्ति द्वारा साफ किए जा रहे व्यजिटिक अस्वच्छ शौचालयों की कुल संख्या :

टिप्पणी : कृपया हाथ से मैला उठाने में लगे हुए व्यक्ति द्वारा साफ किए जा रहे व्यजिटिक अस्वच्छ शौचालयों के विस्तृत वर्णन दे यदि आपको अतिरिक्त जानकारी लिखने की आवश्यकता हो तो कृपया इस पृष्ठ की छायाप्रति करें और सर्वेक्षण प्ररूप के साथ संलग्न करें).

2. सामुदायिक अस्वच्छ शौचालयों (सीआईएल) के ब्यौरे :

अनुक्रमांक	सामुदायिक अस्वच्छ शौचालय के स्वामी संगठन/अभिकरण)	अवस्थिति		हाथ से मैला उठाने वाले का मासिक वेतन का नाम मजदूरी (रु.)	
1	2	3	4	5	6

3. खुले नालों ओडी 'रेल मार्ग' अन्य स्थानों के ब्यौरे

अनुक्रमांक	खुले नालों-रेल मार्ग 'अन्य स्थानों की अवस्थिति जिनमें अस्वच्छ शौचालों से मल बहाया जा रहा है	हाथ से मैला उठाने वाले का मासिक वेतन मजदूरी (रु.)	
1	2	3	4

उपबंध-तीन

हाथ से मैला उठाने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 20 के अधीन निरीक्षक का कार्यालय 004..... (क्षेत्र का नाम)

सूचना

[हाथ से मैला उठाने वाले के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2014 की धारा 13 (8) के अधीन]

संदर्भ..... दिनांक

विषय : हाथ से मैला उठाने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (जो इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट हैं) और हाथ से मैला उठाने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2013 (जो इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट हैं) के अधीन सूचना :

मलनालियों और मल विगलन कुंडों की परिसंकटमय सफाई.

अधिनियम की धारा 7 उपबंधित करती है कि कोई भी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या कोई अभिकरण, ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, जो इस अधिनियम की प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के बाद की नहीं होगी, किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी मलनाली या किसी मल विगलन कुंड की परिसंकटमय सफाई के लिये न तो लगाएगा और न ही नियोजित करेगा

यतः मध्यप्रदेश सरकार के अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के प्रवर्तन की तारीख के रूप में 2-9-2014 अधिसूचित की है

यतः आपको उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) घ के साथ पठित धारा 7 के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियम, हाथ से मैला उठाने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2013 का अतिक्रमण करने की सूचना निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार दी गयी है

(एक) अतिक्रमण का स्थान

(दो) अतिक्रमण की तारीख

(तीन) अतिक्रमण के ब्यौरे.....